

23-12-17

परिवादी द्वारा श्री योगेश जैन अधिवक्ता उपस्थित।

आरोपी अनुपस्थित।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन वास्ते अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किये जाने बाबत पर परिवादी अधिवक्ता को सुना गया।

आवेदन का सार यह है कि, आरोपी प्रकरण में बार बार अनुपस्थित रहता है। पूर्व में भी उसके गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर उसे जमानत का लाभ दिया गया है किंतु वह पुनः अनुपस्थित हो चुका है। परिवादी द्वारा बार बार गिरफ्तारी वारंट हेतु तलवाना अदा करने पर भी तामीली नहीं हो पा रही है जबकि पूर्व में इसी पते पर आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित हुई थी। आरोपी जान बूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः उसकी उपस्थिति के लिए स्थाई वारंट जारी किया जावे तथा आरोपी के उपस्थित होने पर परिवादी को सूचित किया जावे।

आवेदन पर सुना गया अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह परिवाद दिनांक 14.2.2012 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिनांक 5.1.2013 को आरोपी उपस्थित हुआ और उसे जमानत का लाभ प्रदान किया गया। पश्चात में विचारण के दौरान दिनांक 12.3.2014 को आरोपी पुनः अनुपस्थित हो गया तब उसकी उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये तथा दिनांक 6.1.2016 को आरोपी की उपस्थित होने पर उसे पुनः जमानत का लाभ प्रदान किया गया। पुनः दिनांक 3.6.2017 से आरोपी सतत अनुपस्थित है। उसकी उपस्थिति के लिए परिवादी द्वारा तलवाना अदा किये जाने पर आदेशिकाएं भी जारी की गई है किंतु आरोपी पर तामील नहीं हो पा रही है।

उक्त वर्णित परिस्थितियों तथा आरोपी के पूर्व आचरण पर विचारोपरांत यह प्रकट होता है कि आरोपी स्वयं को न्यायालयीन आदेशिका से बचा रहा है तथा जान बूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह समाधानप्रद रूप से प्रकट होता है कि आरोपी फरार हो गया है और निकट भविष्य में उसके मिलने की संभावना नहीं है। आरोपी की कोई चल अचल संपत्ति भी ज्ञात नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। उसकी उपस्थिति के लिए स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे। **वारंट में यह टीप अंकित की जावे कि आरोपी प्रकरण में एक बार उपस्थित होने के बाद जमानत का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अनुपस्थित हुआ है।**

संबंधित थाना प्रभारी को पृथक से ज्ञापन जारी किया जावे कि वे स्थाई गिरफ्तारी वारंट का आमद नंबर इस न्यायालय को प्रेषित करें। स्थाई वारंट जारी कर जावक क्रमांक लाल स्याही से आदेश पत्रिका के हाशिए में अंकित की जावे।

परिवादी अधिवक्ता ने आगामी कार्यवाही आरोपी की

उपस्थिति में ही किया जाना व्यक्त किया।

आरोपी के उपस्थित होने की दशा में परिवादी को, आरोपी के उपस्थित हो जाने की पृथक से सूचना प्रेषित की जावे ताकि वह परिवाद में अग्रिम कार्यवाही कर सके।

प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप सहित अभिलेखागार भेज दिया जावे।

हस्ता. / –

(सचिन ज्योतिषी)

न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी,
बालाघाट